

# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427091

क्रमांक  
प्रति,

/टीसी/24/उपां/नग्रानि/2017 भोपाल,

दिनांक:- /04/2018

1. कलेक्टर,  
जिला राजगढ (म.प्र.)।
2. सहायक संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
जिला कार्यालय, राजगढ (म.प्र.)।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत, राजगढ  
जिला राजगढ (म.प्र.)।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद, राजगढ (म.प्र.)।  
जिला राजगढ (म.प्र.)।

विषय:-

राजगढ विकास योजना 2021 में उपान्तरण बाबत ।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल द्वारा राजगढ विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

संलग्न:-यथोपरि।

(स्वाति मीणा नायक)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

दिनांक:- /04/2018

पृ. क्रमांक

/टीसी/24/उपां/नग्रानि/2017 भोपाल,

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

(स्वाति मीणा नायक)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

10/4/18

10/4/18

10/4/18

10/4/18

10/4/18

# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427091

## सूचना

भोपाल, दिनांक 09/04/2018

क्रमांक 1960 /उपां/टीसी/24/2017 - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट राजगढ विकास योजना 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

## अनुसूची

क्रं	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	राजगढ	614/2 में से	4.00	प्रस्तावित वाणिज्यिक, प्रस्तावित मार्ग आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं कृषि	प्रस्तावित आवासीय एवं मार्ग (प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु)
		योग:-	4.00 हेक्टेयर		

टीप:- आवेदित भूमि में विकास योजना का 24.00 मीटर चौड़ा मार्ग सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय राजगढ तथा वेबसाईट [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, राजगढ को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर संचालक द्वारा विचार किया जाएगा।

(स्वाति मीणा नायक)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

# Directorate, Town and Country Planning,

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal Madhya Pradesh  
Email-mptownplan@mp.gov.in, Phone No-0755 2427091

## Notice

Bhopal, Dated. 09/04/2018

No. 1960

ICL/TC/24/2017 - In exercise of the powers conferred by clause(a) of Sub section (1) of section 23-A of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973). The Director, hereby proposes the following modifications for public information in the Rajgarh Development Plan, 2021 as specified in the schedule hereunder, namely :-

### SCHEDULE

No	Village	Khasara No.	Area (In Ha.)	Land use specified in the development plan	Proposed Land use after modifications
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Rajgarh	614/2 part	4.00	Proposed Commercial, Proposed Road, Plantation under Recreational and Agriculture	Residential and Road (For Praminister Housing Scheme) <i>Pradham Odar</i> <i>Awas Yojna</i>
		Total:-	4.00 Ha		

Note:-The 24.00 meter wide road is proposed in the Development Plan. It will be necessary to keep the land safe.

Details of the proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Assistant Director, Town and Country Planning, District Rajgarh as well as on the web site. [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) for period of 15 days from the date of publication of this notice.

Any objection/suggestions with respect to the said modifications may be submitted by any person to the Director, Town and Country Planning Madhya Pradesh Bhopal or Assistant Director Town and Country Planning, District office Rajgarh, in writing within a period of 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers and such objections and suggestions which may be received before the expiry of the period specified above will be considered by the Director.

(Swati Meena Naik)  
Director

Town and Country Planning

Madhya Pradesh Bhopal